कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी जनपद कानपुर नगर।

पत्रांक 1240 /जि0पू0अ0/प्रर्व0अनु0/कोरोना/2020 दिनांक 03 /अप्रैल,2020

प्रेस–विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्तार अहमद, उचित दर विक्रेता, खाद्य क्षेत्र कोतवाली द्वारा वितरण में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, खाद्य क्षेत्र कोतवाली द्वारा स्थलीय जॉच की गयी। जॉच में गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, खाद्य क्षेत्र किदवई नगर में अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम तथा पूर्ति निरीक्षक के द्वारा जॉच के समय दुकान बन्द पाये जाने/राशन की घटतौली पर महिला उपभोक्ता सहकारी समिति (सचिव सतेन्द्र कुमार पाण्डेय) की उचित दर की दुकान सील कर दी गयी तथा घटतौली की शिकायत पर तहसील बिल्हौर के पूर्ति निरीक्षक द्वारा श्रीमती शीला चन्देल ग्राम मनावां, विकास खण्ड ककवन, तहसील बिल्हौर की उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित किया गया है। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह सम्बन्धित कार्डधारकों को निर्धारित मूल्य एवं मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराना सुनिश्चित करें।

जनहित में जारी।

03/04/2020

(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला पूर्ति अधिकारी,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
02. अपर जिलाधिकारी(आपूर्ति), कानपुर नगर।
03. जिला सूचना अधिकारी जनपद कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ कि वह सार्वजनिक हित में उक्त सूचना जनहित में सभी दैनिक एवं प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

03/04/2020

(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला पूर्ति अधिकारी,
कानपुर नगर।